



Approval No ./.33.../BMC/MAP/2022-23

Date 01/12/2022

फार्म—VIII-ख

भूमि विकास अनुज्ञा के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या—68(3)

आपके आवेदन संख्या— 126, तिथि— 22-Jun-22 के संदर्भ में श्रीमति/श्री श्री प्रशांत कुमार सिन्हा एवं श्री संजय सिन्हा, पिता/पति— स्व0 सचिवदानन्द प्रसाद के लिए

- (क) भूमि विकास की अभिन्यास (ले—आउट) योजना के लिए
- (ख) भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए

भागलपुर नगर निगम, भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत बिहार नगरपालिका 2007 की धारा—314 और बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा—81(2) (ब) के अंतर्गत खाता नं0:—661, खेसरा सं0:— 413, होल्डिंग नं0:— 46, 47, पता— जोगसर, चण्डी प्र0 लेन, वार्ड नं0:— 20, के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती हैः—

- (क) भूमि का उपयोग अनन्य रूप से **B+G+4 (Residential)** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **290.72** वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **7.61** मीटर चौड़ाई के पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सङ्क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छदित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति, अनुज्ञा जारी किए जाने की तारीख से तीनों वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति उस भूखंड, जिसके योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार/हक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात भू—अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात कोई विवाद होने पर, विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ज) कोई अन्य शर्त।

नगर आयुक्त

नगर निगम भागलपुर

ज्ञापांक:— 3299 / भा0न0नि0

प्रतिलिपि:— अनुमोदित योजना की 02 (दो) प्रतियों के साथ श्रीमति/श्री श्री प्रशांत कुमार सिन्हा एवं श्री संजय सिन्हा को अग्रसारित।

दिनांक :— 01/12/2022

नगर आयुक्त

Municipal Commissioner
Bhagalpur Municipal Corporation

३१.१२.२२